

NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
Principal Bench, New Delhi	
Receipt & Issue Branch	
Received	
15 FEB 2024	
Dairy No.	754
Signature	

सेवा में

माननीय--मुख्य न्यायाधीश /अध्यक्ष .

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली

विषय--मा व न्यायालय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा प्रार्थी की याचिका संख्या 556/2023 पर सुनवाई करते हुए 04.10.2023 को 15.12.2023 तक जाँच समिति बनाकर जाँच कराकर रिपोर्ट तलब की गई एजिसके बाद भी 15.1.2023 को माव न्यायालय की अवहेलना करते हुए आज तक बिना कोई जाँच किये हुए मनगढ़ंत आख्या प्रस्तुत किये जाने के तथा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की जानमाल की रक्षा करने के सम्बन्ध में ।

मान्यवर

आपको अवगत करना है कि प्रार्थी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य में यूपीडा के अधिकारियों, ठेकेदार गाबर कंपनी, जिला प्रशासन के अधिकारियों से सठगांठ कर कुछ किसानों की भूमि से किसी भी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई और जो की प्रार्थी के ग्राम में ही किसान के खेत से किसी भी प्रकार की मिट्टी खनन की स्वीकृति नहीं ली गई और साठगांठ कर लगभग 40 फीट तक गहराई से अवैध मिट्टी खनन किया गया जिसमें किस का नाम प्रबल प्रताप सिंह रोहिणी प्रताप सिंह पुत्र पंचम सिंह निवासी नरछा है उक्त जमीन में किसान प्रबल प्रताप के छोटे बेटे सत्यव्रत ने गाबर कंपनी उच्च अधिकारियों से साठगांठ कर अवैध तरीके से मिट्टी खनन कर लाखों रुपए की राजस्व व पर्यावरण को हानि पहुंचाई गई ।

2. उक्त कार्य में प्रार्थी द्वारा मांगी गई जनसूचना (आर0टी0आई0 के माध्यम से प्राप्त किये गए साक्ष्यों के अनुसार किसानों की भूमि से मिट्टी खनन करने के लिए वर्ष 2021 में मिट्टी खनन की स्वीकृति गाबर कंपनी और संबंधित अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी/जिला खनिज विभाग से स्वीकृति मांगी जाती है जबकि उक्त कार्य में दिसंबर 2019 से ही मिट्टी खनन का कार्य शुरू कर दिया गया था जिसके साक्ष्य मौके पर है जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा अप्रैल 2020 में शुरुआती समय में ईमेल रजिस्टर डाक से की गई थी सलग्न पेज (1-19)

3. उक्त कार्य में लगभग 2021 में मिट्टी खनन स्वीकृति ली गई जिसमें उक्त लोगों को सिर्फ 2मीटर तक ही मिट्टी खनन करने की ट्रिपल से ढककर अंडरलॉड वाहनों से खनन की स्वीकृति दी गई उसके बाद भी उक्त लोगों ने स्वीकृति आदेश की अवहेलना कर 10 मीटर से 15 मीटर से अत्यधिक गहराई से मानक को तक पर रखकर अवैध मिट्टी खनन किया गया और अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की निरक्षण कार्यवाही नहीं की गई एजिसमें मौके पर आज भी गहराई माफी/नापी जा सकती है मौके पर साक्ष्य मौजूद है 15.12.2023 को जो आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई वह बिना मौके पर जाकर मनगढ़ंत आज्ञा उक्त लोगों का बचाव करते हुए बनाकर पेश की गई है जो की निराधार है सलग्न पेज-(1-41)

4. कुछ किसानों की भूमि से जबरन और कुछ किसानों के सहयोग से उक्त अवैध तरीके से पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हुए अवैध मिट्टी खनन किया गया उक्त लोगों द्वारा मिट्टी खनन स्वीकृति आदेश में किसने की भूमि का संपूर्ण रखवा में मिट्टी खनन करना दर्शाया गया है जबकि लगभग 80: किसने ने अपनी भूमि के कुछ ही हिस्से में मिट्टी खनन करवाया है जो की मौके पर आज भी शासकीय तौर पर मौजूद है।

5. उक्त कार्य के संबंध में प्रार्थी द्वारा कई बार जन सूचना मांगने पर माननीय सूचना आयोग के निर्देश के बाद मिट्टी खनन स्वीकृति की छाया प्रितिया खनिज विभाग जालौन द्वारा उपलब्ध कराई गई जिसमें सिर्फ दो मीटर तक ही मिट्टी खनन करने की स्वीकृति दी गई लेकिन मिट्टी खनन की स्वीकृति देने के बाद संबंधित अधिकारियों ने कभी भी मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं किया और ना ही कोई कार्रवाई की गई जिसमें अबैध मिट्टी खनन में कहीं ना कहीं खनिज विभाग की और जिला अधिकारी का भी सहयोग रहा है तब ही जाकर अवैध तरीके से मिट्टी खनन किया गया है ।

6. दिनांक 28.11.2023 को प्रार्थी माननीय एन.जी.टी.न्यायालय के जांच आदेश के संबंध में जिला अधिकारी महोदय जालौन के यहां पर कार्यालय में जाकर मुलाकात की थी और मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया था जिसमें डीएम सर द्वारा कहा गया था कि मैं मौके पर आऊंगा और तुमको बुलाकर तुम्हारे सामने

6024/Under  
17/8/24

Ld. R. G.  
15/12/2024  
con. (3)

OA 556/23  
RE/...  
... 15/12

पेज-2

मौके पर जांच करेंगे लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार की आज तक जांच नहीं की गई जबकि जांच की जाए तो आज भी मौके पर साक्ष्य मौजूद है।

7. माननीय एनजीटी न्यायालय द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को किए गए जांच आदेश के बाद से प्रार्थी को कई बार परेशान करने के लिए रात्रि के समय पुलिस वाले भेज दिए जाते हैं कई बार रास्ता रोका जाता है तथा कई बार पीछा किया जाता है और गाबर कंपनी द्वारा समझौता करने के लिए फोन करवाया जाता है जिससे प्रार्थी द्वारा मना कर दिया जाता है तो प्रार्थी को जान से मरवाने की भी धमकियां दी जा रही हैं 14.12.2023 को रात्रि में समय लगभग 12 बजे के बाद दो अनपचित ब्यक्तियों द्वारा दरवाजा खटकाया जाता है जिससे प्रार्थी को माव न्यायालय की सुनवाई दिनांक 15.12.2023 उपस्थित न हो सके जबकि प्रार्थी 14.12.2023 को शाम को घर से निकल गया था।

8. माननीय न्यायालय द्वारा दिये गए जांच के आदेश की अवहेलना कर आज दिनांक तक प्रार्थी की जानकारी के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई और न ही प्रार्थी से कोई साक्ष्य माँगे गए प्रार्थी द्वारा मौके पर जाकर कुछ गहरे गढ़ों की जी0पी0एस0 कैमरा से निकाली गई फ़ोटो सलग्न है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में की गई शिकायतों की छाया प्रति सलग्न।

मान्यवर यदि प्रार्थी के या प्रार्थी के परिवार के साथ किसी भी प्रकार की घटना अथवा रोड एक्सीडेंट जैसी घटनाएं घटित होती हैं तो उसमें संबंधित उक्त लोगों की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी क्योंकि प्रार्थी का परिवार काफी ~~अप्य~~ <sup>अप्य</sup> ग़रिब है।

अतः आपसे निवेदन करना है कि उक्त प्रकरण में मौके पर प्रार्थी के समक्ष वीडियो ग्राफी तथा सार्वजनिक तौर पर निष्पक्ष अथवा सी.बी.आई./न्याययिक जाँच कराकर उक्त लोगों व सम्पूर्ण दोषियों के खिलाफ शख्त कार्यवाही करते हुए रिकवरी कर गाबर कंपनी को काली सूची में डालकर उचित कानूनी कार्यवाही भी करने की कृपा करें, तथा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के जानमाल की रक्षा करने की कृपा करें। तो आपकी अति कृपा होगी।








संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

दिनांक- 09-02-2024

प्रार्थी

अरुण तिवारी

अरुण तिवारी/अरुण कुमार पुत्र स्व0 श्याम विहारी तिवारी  
नि0- ग्राम नरछा, पोस्ट ननुसाई  
जिला- जालौन (उ0प्र0)।  
मो0न0-9721605555



निम्न तालिका-लावगा - 60 फिटर्स अधिक गहराई से - कुदेल खण्ड सम्प्रेषित  
मिथिली सड़क में - गावर कावणी - पूजाश्रम अधिष्ठास्थिते व किसानों की मिलीजुगट  
शुदाई करवाई गई

